राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 4679/2022

दिलीप कुमार दक —अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व, जयपुर।
2. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 14.09.2022
आदेश की दिनांक : 07.11.2022

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अधिवक्ता

समक्ष :– मातादीन शर्मा, सदस्य
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपील में अंकित तथ्यों के अनुसार व्यक्त किया गया है कि अपीलार्थी वर्तमान में भू–अभिलेख निरीक्षक लीव रिजर्व के पद पर तहसील डूंगला, चित्तौडगढ़ में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 31.12.2021 (अनुलग्नक–3) के द्वारा अपीलार्थी की पदोन्नति भू–अभिलेख निरीक्षक के पद पर करते हुए वर्तमान पदस्थापन स्थान पर पदस्थापित किया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 11.09.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से तहसील देवगढ़, राजसमंद बिना प्रशासनिक आवश्यकता एवं अपीलार्थी को हैरान–परेशान करने की नियत से दुर्भावनापूर्वक किया गया है। अपीलार्थी की नियुक्ति अनुकपात्मक आधार पर हुई है। अपीलार्थी की माताजी काफी वृद्ध है तथा वृद्धावस्था की कई गंभीर बीमारियों से पीड़ित है, जिसकी देखभाल की जिम्मेदारी अपीलार्थी की है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण आठ माह की अल्पावधि में किया गया है, जो राजस्व विभाग की स्थानान्तरण नीति (अनुलग्नक–4) में दो वर्ष पूर्व स्थानान्तरण नहीं किए जाने का प्रावधान है। अपीलार्थी के प्रकरण में इसकी अवहेलना हुई है। अपीलार्थी पटवार संघ का उपाध्यक्ष है (अनुलग्नक–5)। राज्य सरकार के कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र दिनांक 20.06.1967, 10.05.1984, 26.09.1989 एवं 07.09.1990 (अनुलग्नक–6) द्वारा निर्देश दिए गए है कि कर्मचारी संध के पदाधिकारी का स्थानान्तरण इस आधार पर नहीं किया जावे कि वह संघ का पदाधिकारी है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 11.09.2022 (अनुलग्नक–1) को अपास्त किया जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि अपीलार्थी को निरन्तर भू–अभिलेख निरीक्षक लीव रिजर्व के पद पर तहसील डूंगला, चित्तौडगढ में कार्य करने दिया जावे तथा वेतन एवं समस्त पारिणामिक लाभ दिए जावे।

हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 11.09.2022 (अनुलग्नक–1) के विरूद्ध अनुतोष चाहा है। राज्य सरकार के कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र द्वारा निर्देश दिए गए है कि कर्मचारी संध के पदाधिकारी का स्थानान्तरण इस आधार पर नहीं किया जावे कि वह संघ का पदाधिकारी है। अतः उपर्युक्त मामले की वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम न्यायहित में यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी दो सप्ताह में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में दो सप्ताह में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। अपीलार्थी के अभ्यावेदन के निस्तारण होने तक अपीलार्थी के सम्बन्ध में आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 11.09.2022 (अनुलग्नक–1) का क्रियान्वयन (Operation) स्थगित किया जाता है। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित समयावधि में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(मातादीन शर्मा)
सदस्य